न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 70 / 2025 **दायर दिनांकः 01.05.2025**

उनवान

1. बनवारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति अहीर
2. मुरारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर
3. राधेश्याम पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासीगण छेलाबेल पोस्ट खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :—
वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

निर्णय **दिनांक 28.08.2025**

वादी ने यह वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) में खाता संख्या 80 का ख.नं. 118 का रकबा 1.01 हे0, ख.नं. 153 का रकबा 0.46 हे0, ख.नं. 154 का रकबा 0.03 हे०, ख.नं. 250 का रकबा 0.30 हे०, ख.नं. 98 का रकबा 0.12 हे0, ख.नं. 99 का रकबा 0.05 हे0 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.97 हेक्टर आराजी वादी के दर्ज खाता स्थित है तथा खाता संख्या 116 का ख.नं. 23 / 649 का रकबा 0.15 हे०, ख.नं. 4 / 665 का रकबा 0.13 हे०, ख.नं. 5 का रकबा 6.39 हे0, ख.नं. 6 / 653 का रकबा 0.11 हे0, ख.नं. 7 / 652 का रकबा 0.05 हे0 कुल किता 5 का कुल रकबा 6.83 हे0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के शामलाती खाते दर्ज स्थित है तथा खाता संख्या 115 का ख0नं0 134 का रकबा 2.37 है0, ख0नं0 356 / 703 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 357 का रकबा 3.28 है0 कुल किता 3 का रकबा 5.69 है0

आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के शामलाती खाते दर्ज स्थित है। नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस साथ में संलग्न है। संशोधित वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के पिता किशनलाल के स्वामित्व की है। उपरोक्त आराजी खातेदार किशनलाल की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान के दर्ज खाता स्थित हो गई थी। उपरोक्त आराजी बाबत प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने माननीय न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर०टी०एक्ट का पेश किया था। उपरोक्त वाद को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/12/2011 को स्वीकार फरमाकर डिक्री पारित कर दी गई थी। उपरोक्त निर्णय की पालना में इजराय पेश की गई जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को नामान्तकरण संख्या 308 से दिनांक 09/06/2012 को खातेदार कृषक घोषित कर दिया गया था। जो सही रूप से दर्ज किया गया था। परन्तु सहवन से उपरोक्त डिक्री दिनांक 13/12/2011 की पालना में पटवार हल्का द्वारा पुनः नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 21/02/2015 खोल कर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के खाते पृथक–पृथक कर कब्जे काश्त अनुसार आराजी दर्ज नही की गई। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा दर्ज नही किया गया। जिससे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को आराजी काश्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार आराजी खाते दर्ज करवाने के लिए सहमत है। इसलिए वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का पुनः सही बंटवारा करके हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे। जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी है। निर्णय एवं डिक्री की प्रति तथा नामान्तकरण की प्रति साथ में संलग्न है। बिना सहायता न्यायालय संशोधित वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा करवाया जाना सम्भव नही है। यदि वादी को हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार आराजी पर खातेदार कृषक घोषित नही किया गया तो वादी अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी से वंचित हो जावेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पड़ेगा। अस्तु संशोधित वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी को हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी के पृथक से उसके हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी पुनः पृथक से खाते दर्ज की जावे। राजस्थान सरकार भू–धारक होने से तथा वाद खातेदारी घोषणा एवं खाता विभाजन का होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू को प्रतिवादी क्रम 4 आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादी द्वारा राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां

को धारा 80 सी०पी०सी० का रजिस्टर्ड नोटिस मियादी दो माह प्रेषित कर दिया है। लेकिन वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के आराजी हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार दर्ज नहीं करने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 आराजी को रहन, बेचान, खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का बन चुका है। अगर नोटिस की अवधि समाप्त होने का इन्तजार किया गया तो वादी अपने हक अधिकारों से वंचित हो जावेगा। इस वजह से वाद पत्र नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना धारा 80 (2) जा०दी० के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र 80 (2) जा०दी० स्वीकार फरमाया जाकर वाद पत्र दर्ज किया जाकर वाद पत्र की नियमित सुनवाई की जावे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 12/03/2025 को वादी द्वारा पटवार हल्का से आराजी गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 10/04/2025 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा आराजी को बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल छेलाबेल तहसील अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार तथा श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी को हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

(ब) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी के हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार आराजी पुनः पृथक से खाते दर्ज की जावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वह वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अभिभाषक वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार बटवारे का निवेदन किया।

अभिभाषकगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जैरकार है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 सगे भाई है तथा वाद पत्र

की मद नं. 1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजी वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के पिता किशनलाल के स्वामित्व की है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित ग्राम छेलाबेल की आराजी का प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय में वाद पेश किया था। जिसकी इजराय की पालना दिनांक 09/06/2012 को नामान्तकरण संख्या 308 से सही रूप से दर्ज कर दी गई थी परन्तु पटवार हल्का द्वारा पुनः डिक्री पालना नामान्तकरण संख्या 343 दिनांक 21/02/2015 से कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा दर्ज नही किया इसलिए वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 सहमति से निम्न प्रकार आराजी का बंटवारा कराना चाहते है।

(1) वादी बनवारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख.नं.	**रकबा (हेक्टर)**
134 उत्तर दिशा	1.19
118	1.01
153 उत्तर दिशा	0.24
250 पश्चिम दिशा	0.10
4/665	0.13
5	1.63
कुल किता 6	**कुल रकबा 4.30**

(2) प्रतिवादी क्रम 1 गिर्राज पुत्र किशनलाल अहीर के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

ख.नं.	**रकबा (हेक्टर)**
134 दक्षिण दिशा	1.18
153 दक्षिण दिशा	0.22
154	0.03
250 पूर्व दिशा	0.10
23/649	0.15
5	2.41
कुल किता 6	**कुल रकबा 4.09**

(3) प्रतिवादी क्रम 2 मुरारीलाल पुत्र किशनलाल अहीर के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

ख.नं.	**रकबा (हेक्टर)**
356/703	0.04
357	3.28
98	0.12
99	0.05
250 मध्य	0.10
कुल किता 5	**कुल रकबा 3.59**

(4) प्रतिवादी क्रम 3 राधेश्याम पुत्र किशनलाल अहीर के हिस्से में निम्न आराजी रहेगी।

ख.नं.	**रकबा (हेक्टर)**
6/653	0.11
7/652	0.05
5 दक्षिण पूर्व	1.44
कुल किता 3	**कुल रकबा 1.60**

(5) बनवारीलाल, गिर्राज, मुरारीलाल, राधेश्याम पुत्रान किशनलाल जाति अहीर के हिस्से में निम्न आराजी बराबर रहेगी।

ख.नं.	**रकबा (हेक्टर)**
5 उत्तर पूर्व	0.91
कुल किता 1	**कुल रकबा 0.91**

ख.नं. 5 में से सर्वप्रथम प्रतिवादी क्रम 3 राधेश्याम के रकबा 1.44 हे0 भूमि पूर्व दक्षिण की तरफ तरमीम होगी। उसके बाद प्रतिवादी क्रम 1 गिर्राज के रकबा 0.65 हे० दक्षिण पश्चिम की तरफ तरमीम होगी। फिर उसके बाद वादी बनवारीलाल के 1.63 हे0 की तरमीम होगी और उसके बाद प्रतिवादी क्रम 1 गिर्राज के रकबा 1.76 हे0 तरमीम करने के बाद शेष बची उत्तर पूर्व की तरफ की 0.91 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 के नाम रखी जावेगी।

अतः माननीय न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 उपरोक्तानुसार राजीनामा प्रस्तुत कर आराजी का खाता विभाजन करवाना चाहते है। अतः राजीनामा तस्दीक कर फाईनल डिक्री जारी करने की कृपा करें।

राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया जिसे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री बद्रीलाल नागर एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की पहचान श्री हरीश गालव द्वितीय एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किये।

अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण द्वारा विवादित आराजी का राजीनामा अनुसार खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम एवं माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी की विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 कुल किता 6 का रकबा 1.97 है0 आराजी वादी बनवारीलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा पूर्ण जाति अहीर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम एवं माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी की विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 कुल किता 5 का रकबा 6.83 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 (गिर्राज पुत्र किशनलाल), प्रतिवादी क्रम 2 (मुरारीलाल पुत्र किशनलाल) व प्रतिवादी क्रम 3 (राधेश्याम पुत्र किशनलाल) के नाम हिस्सा 1/3–1/3–1/3 शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। ग्राम एवं माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी की विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 कुल किता 3 का रकबा 5.69 है0 आराजी वादी (बनवारीलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6) प्रतिवादी क्रम 1 (गिर्राज पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/3), प्रतिवादी क्रम 2 (मुरारीलाल पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/3) व प्रतिवादी क्रम 3 (राधेश्याम पुत्र किशनलाल हिस्सा 1/6) के नाम हिस्सा शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है।

श्रीमान शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांकः प. 5(1)राज–6/97/10 दिनांक 08.09.1997 व पत्रांकः प.5 (1) राज–6/97/15 दिनांक 02.09.2000 के अनुसार सहखातेदारों में विभाजन की सहमति होने पर सहमति के आधार पर ही डिक्री की जायेगी।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर.टी. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व पेश राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 के खसरा नं0 118 का रकबा 1.01 है0, ख0नं0 153 उत्तर दिशा का 0.24 है0, ख0नं0 250 पश्चिम दिशा का 0.10 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 4/665 का रकबा 0.13 है0, ख0नं0 5 का रकबा 1.63 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 के ख0नं0 134 उत्तर दिशा का रकबा 1.19 है0 आराजी वादी बनवारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 के खसरा नं0 153 दक्षिण दिशा का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 250 पूर्व दिशा का 0.10 है0, ख0नं0 154 का रकबा 0.03 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 23/649 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 5 का रकबा 2.41 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 के ख0नं0 134 दक्षिण दिशा का रकबा 1.18 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 के खसरा नं0 250 मध्य का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 98 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 99 का रकबा 0.05 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 के ख0नं0 356/703 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 357 का रकबा 3.28 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 2 मुरारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 6/653 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 7/652 का रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 5 दक्षिण पूर्व का रकबा 1.44 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 3 राधेश्याम पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 5 उत्तर पूर्व का रकबा 0.91 है0 आराजी वादी बनवारी लाल, प्रतिवादी क्रम 1 गिर्राज, प्रतिवादी क्रम 2 मुरारीलाल व प्रतिवादी क्रम 3 राधेश्याम के नाम दर्ज की जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू बैंक के

रहन की राशि पक्षकारों के द्वारा जमा करवाए जाने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **28.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 70/2025 **दायर दिनांकः 01.05.2025**

उनवान

1. बनवारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासी छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

वादी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति अहीर
2. मुरारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर
3. राधेश्याम पुत्र किशनलाल जाति अहीर निवासीगण छेलाबेल पोस्ट खुरी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 आर. टी. एक्ट.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 के खसरा नं0 118 का रकबा 1.01 है0, ख0नं0 153 उत्तर दिशा का 0.24 है0, ख0नं0 250 पश्चिम दिशा का 0.10 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 4/665 का रकबा 0.13 है0, ख0नं0 5 का रकबा 1.63 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 के ख0नं0 134 उत्तर दिशा का रकबा 1.19 है0 आराजी वादी बनवारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 के खसरा नं0 153 दक्षिण दिशा का रकबा 0.22 है0, ख0नं0 250 पूर्व दिशा का 0.10 है0, ख0नं0 154 का रकबा 0.03 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 23/649 का रकबा 0.15 है0, ख0नं0 5 का रकबा 2.41 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 के ख0नं0 134 दक्षिण दिशा का रकबा 1.18 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 गिर्राज पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल पटवार हल्का खुरी तहसील अटरू के खाता संख्या नया 80 पुराना 111 के खसरा नं0 250 मध्य का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 98 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 99 का रकबा 0.05 है0 व ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 115 पुराना 110 के ख0नं0 356/703 का रकबा 0.04 है0, ख0नं0 357 का रकबा 3.28 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 2 मुरारीलाल पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 6/653 का रकबा 0.11 है0, ख0नं0 7/652 का रकबा 0.05 है0 व ख0नं0 5 दक्षिण पूर्व का रकबा 1.44 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 3 राधेश्याम पुत्र किशनलाल जाति अहीर के नाम दर्ज की जावें। आराजी ग्राम व माल छेलाबेल के खाता संख्या नया 116 पुराना 111 के ख0नं0 5 उत्तर पूर्व का रकबा 0.91 है0 आराजी वादी बनवारी लाल, प्रतिवादी क्रम 1

गिर्राज, प्रतिवादी क्रम 2 मुरारीलाल व प्रतिवादी क्रम 3 राधेश्याम के नाम दर्ज की जावें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू बैंक के रहन की राशि पक्षकारों के द्वारा जमा करवाए जाने के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 28.08.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)